S.N.7(R)

(44)

पुलिस मुख्यालय
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/पुमु/अजाक/ए–3/ 7191 /09, भोपाल दिनांक: 26/6/2009

प्रति,

श्री राकेश कुमार दुबे
सहायक निदेशक
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
कमरा नं0 309, निर्माण सदन सीजीओ बिल्डिंग
52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

विषयः– म0प्र0 के धार जिले के धर्मपुरी विधान सभा क्षेत्र के आदिवासियों को भू–माफिया के गुण्डों द्वारा बेदखल करने के संबंध में श्री पाचीलाल मेड़ा विधायक धर्मपुरी जिला धार से प्राप्त शिकायत पत्र ।

संदर्भः– 1/ आपका पत्र क्र0 एस.सी.एस.टी. 3608/धार/म0प्र0/11/09 जी आर दिनांक 13.5.09

2/ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निदेशक महोदय का पत्र क्र0 मिसिल सं0 पी0एम0/एम0पी0 03/अत्या0/आर0यू0–3 दि0 21.1.2009

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । विधायक श्री पाचीलाल मेड़ा, के आवेदन पत्र की जांच पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर जोन द्वारा की गई। उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर रेंज ने श्री मेड़ा के कथन लिपिबद्व किये है । जिसमें आवेदक ने कोई नवीन साक्ष्य एवं तथ्य प्रस्तुत नही किये हैं, बल्कि श्री वासुदेव रावल, उपुअ, उमनि कार्यालय, इंदौर रेंज को दि0 20.1.09 को दिये कथन की पुष्टि की हैं । आवेदक ने अपने पूर्व आवेदन के साथ सीडी संलग्न की थी, जिसमें दिनांक 17.12.08 को आदिवासी समाज के झोपडे तोडने से संबंधित घटना क्रम का विवरण है। उक्त सीडी में पुलिस अधीक्षक धार चंचल शेखर द्वारा आवेदक श्री मेड़ा के साथ अभद्र व्यवहार एवं जातिगत दुर्व्यवहार किये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हैं । प्रकरण की जांच के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हुई है। जिससे पुलिस अधीक्षक धार चंचल शेखर द्वारा आवेदक श्री मेड़ा के साथ कोई जातिगत दुर्व्यवहार किया गया हो।

कार्यालय निदेशक/Office of the Director
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल
National Commission for Sch. Tribes Bhopal
डायरी संख्या/Diary No. 7 MT
दिनांक/Date ...

29/6/09

जांच के दौरान यह पाया गया कि विधायक महोदय मॉडव थाने पर अपने साथियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहे थें और कार्य में बाधा पहुँचा रहे थे । इसलिये उनके एवं साथियों के विरूद्व अप0क0 43/08 धारा 353 भादवि का कायम किया जाकर विधायक श्री पाचीलाल मेड़ा, भीमसिंह ठाकुर एवं गंगाराम की गिरफ्तारी की जाकर उसी दिन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉ न्यायालय ने उन्हें 7–7 हजार के मुचलके पर रिहा किया गया विधायक महोदय जिस कारण थाने में धरना दे रहे थें, उस विषय में भी फरियादी की रिपोर्ट पर अप0क0 44/08 धारा 294, 427, 506, 34 भादवि एवं 3(1)15 अजा/जजा अत्या0 निवा0 अधिनियम पंजीबद्व कर विवेचना की जा रही हैं । जिसमें 02 आरोपियों की गिरफतारी हो चुकी है, 01 की गिरफतारी शेष है। प्रकरण की जांच के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य नही आई, जिसमें पुलिस अधीक्षक धार द्वारा विधायक महोदय से कोई जातिगत दुर्व्यावहार किया गया हों । साथ ही विधायक महोदय ने स्वयं को न्यायालय में प्रस्तुत करते समय भी न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई बात नही बताई ।

इस संबंध में श्री मेड़ा के आवेदन पत्र की जांच उमनि इंदौर रेंज द्वारा कराई गई है जिसमें भी कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नही आये हैं । जिसमें जातिगत दुर्व्यावहार किया गया हो ।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रेषित हैं ।

25/6

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक)
पुलिस मुख्यालय भोपाल